व्यावसायिक बहरेपन हेतु मुआवज़ा योजना

व्यावसायिक बहरेपन हेतु मुआवज़ा योजना व्यावसायिक बहरापन (मुआवज़ा) अध्यादेश के तहत बनाई गई है जिसका उद्देश्य लोगों को उनकी नौकरी के कारण शोरजनित बहरेपन से पीड़ित होने की स्थिति में मुआवज़ा मुहैया कराना है।

व्यावसायिक बहरेपन हेतु मुआवज़ा योजना के लिए आवेदन करना

योग्यता का मानदंड

◎ **मुआवज़े के लिए योग्यता की क्या शर्तें हैं?**

कोई भी व्यक्ति जिसे हांगकांग में निर्दिष्ट शोरभरे व्यवसायों में नियोजित किया गया है, वह मुआवज़े के लिए आवेदन कर सकता है यदि वह अपनी नौकरी के कारण शोरभरे परिवेश में रहने से बहरा हो चुका है। व्यावसायिक बहरापन एक व्यावसायिक बीमारी है और मुआवज़े का हकदार होने से पहले व्यक्ति को व्यावसायिक और बहरेपन दोनों के लिए आवश्यकताएँ पूरी करनी होंगी।

कोई भी व्यक्ति जिसे व्यावसायिक बहरेपन के लिए मुआवज़ा दिया जाता है वह इसके आगे भी मुआवज़े के लिए आवेदन कर सकता है यदि एक अवधि के लिए निर्दिष्ट शोरभरे व्यवसायों में उसे नियोजित करना और काम करवाना जारी रखा गया है जिसके कारण वह और ज़्यादा बहरा हो गया है, जैसा अस्थायी अक्षमता के अतिरिक्त प्रतिशत द्वारा दृष्टांत दिया गया है।

(अ) पहली बार के लिए मुआवज़ा

1. *व्यावसायिक आवश्यकताएँ:*

(अ) व्यक्ति हांगकांग में निर्दिष्ट शोरभरे व्यवसायों में कुल मिलाकर कम से कम 10 वर्ष से नौकरी कर रहा है या उन 4 व्यवसायों में कम से कम पाँच वर्ष से नौकरी कर रहा है जो विशिष्ट रूप से शोरभरे हैं; और

(आ) वह मुआवज़े के लिए आवेदन करने से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान हांगकांग में किसी निर्दिष्ट शोरभरे व्यवसाय में सतत संविदा के तहत नियोजित रहा है। (सतत संविदा का मतलब है एक ऐसी नौकरी की संविदा जिसमें कर्मचारी ने एक नियोक्ता के लिए 4 हफ्ते या ज़्यादा समय के लिए काम किया है, एक प्रदत्त तारीख़ से पहले, और 4 में से हर हफ्ते कम से कम 18 घंटे काम किया है।)

2. *बहरेपन के लिए आवश्यकताएँ:*

(अ) द्विकर्णी बहरापन - संवेद-तंत्रिकीय बहरापन जो हर कान में 40 डीबी से कम नहीं है, जहाँ ऐसा बहरापन कम से कम एक कान में शोर के कारण हुआ है; **या**

(आ) एककर्णी बहरापन - संवेद-तंत्रिकीय बहरापन जो केवल एक कान में 40 डीबी से कम नहीं है, जहाँ ऐसा बहरापन शोर के कारण हुआ है।

उपरोक्त संवेद-तंत्रिकीय बहरापन ऑडियोमेट्री द्वारा 1, 2 और 3 kHz आवृत्तियों पर मापे गए बहरेपन के औसत से प्राप्त किया गया है।

(आ) अगला मुआवज़ा

1. *व्यावसायिक आवश्यकताएँ:*

(अ) व्यक्ति अपने उस अंतिम आवेदन की आवेदन तारीख़ के बाद हांगकांग में निर्दिष्ट शोरभरे व्यवसायों में कुल मिलाकर कम से कम 3 वर्ष से नौकरी कर रहा है जिसके लिए मुआवज़ा स्वीकार कर दिया गया है; **और**

(आ) वह अगले मुआवज़े के लिए आवेदन करने से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान हांगकांग में किसी निर्दिष्ट शोरभरे व्यवसाय में सतत संविदा के तहत नियोजित रहा है।

2. अतिरिक्त स्थायी अक्षमता सहित बहरेपन के लिए आवश्यकताएँ:

(अ) द्विकर्णी या एककर्णी बहरापन; **और**

(आ) स्थायी अक्षमता का प्रतिशत उस नवीनतम आवेदन से ज़्यादा है जिसके लिए मुआवज़े की स्वीकृति दी गई है।

◎ क्या आवेदन करने की कोई अंतिम तारीख़ है?

कोई भी व्यक्ति जो निर्दिष्ट शोरभरे व्यवसायों में अभी भी नियोजित है और उपरोक्त शर्तों को पूरा करता है वह किसी भी समय मुआवज़े के लिए आवेदन कर सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो निर्दिष्ट शोरभरे व्यवसायों में अब और नियोजित नहीं है उसे ऐसे व्यवसायों में अंतिम बार नियोजित किए जाने से 12 महीने के **अंदर** आवेदन करना चाहिए।

◎ निर्दिष्ट शोरभरे व्यवसाय क्या हैं?

निर्दिष्ट शोरभरे व्यवसाय 29 तरह के होते हैं। इनमें वे व्यवसाय शामिल हैं जो निम्नलिखित को शामिल करते हैं -

1. धातु पर या धातु के बिलेट या ब्लूम पर बिजली से चलने वाले घर्षण औज़ारों का इस्तेमाल, या इन औज़ारों के इस तरह से इस्तेमाल होने के दौरान इनके बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
2. धातु पर या धातु के बिलेट या ब्लूम पर बिजली से चलने वाले आघाती औज़ारों का इस्तेमाल, या इन औज़ारों के इस तरह से इस्तेमाल होने के दौरान इनके बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;

3*. चट्टानों, कंक्रीट या संगमरमर पर बिजली से चलने वाले पीसने, तराशने, काटने या आघात करने वाले औज़ारों का इस्तेमाल, या इन औज़ारों के इस तरह से इस्तेमाल होने के दौरान इनके बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;

4. बंद या खुले डाय या ड्रॉप हैमर से धातु को गढ़ने का काम करने वाले प्लांट (पॉवर प्रेस प्लांट को छोड़कर) के बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
5. कपड़े के निर्माण में काम करना जहाँ काम सारा समय या मुख्य रूप से ऐसे कमरों या शेड में पूरा किया जाता है जिनमें मानव-निर्मित या प्राकृतिक (खनिज-पदार्थ सहित) रेशों को बुनने या रेशों को उच्च गति में नकली मरोड़ देने का काम करने वाली मशीनें मौजूद हैं;
6. धातु की कीलों या स्क्रू की कटाइ, आकार देने या सफाइ करने वाली मशीनों का इस्तेमाल करना या उनके बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
7. धातु का जमाव करने वाले प्लाज़्मा स्प्रे गनों का इस्तेमाल करना या उनके बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
8. निम्नलिखित किसी भी मशीन का इस्तेमाल करना या इसके बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना: मल्टी-कटर मोल्डिंग मशीनें, प्लेनिंग मशीनें, स्वचालित या अर्द्ध-स्वचालित लेद (lathes), बहु क्रॉस-कट मशीनें, स्वचालित आकार देने वाली मशीनें, डबल-एंड टेनोनिंग मशीनें, वर्टीकल स्पिंडल मोल्डिंग मशीनें (उच्च गति वाली रूटिंग मशीनों सहित), एज बैंडिंग मशीनें, बैंडसॉइंग मशीनें जिनके ब्लेड की चौड़ाई 75 mm से कम नहीं है और गोलाकार सॉइंग मशीनें;
9. चेन सॉ का इस्तेमाल;

10*. निर्माण स्थलों पर आघाती ढेर या धातु की तख्तियाँ चलाने का काम करने वाली मशीनों का इस्तेमाल करना या उनके बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;

11*. अपघर्षक स्फोटन संचालनों के बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;

12. कॉच की पिसाइ करने वाली मशीनों का इस्तेमाल करना या उनके बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
13. चट्टानों या पत्थरों के ढेर को कुचलने या स्क्रीन करने वाली मशीनों के बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
14. प्लास्टिक की सामग्री को दानेदार बनाने वाली मशीनों का इस्तेमाल करना या उनके बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
15. जहाजों की डीस्केलिंग करने वाली मशीनों या हस्त औज़ारों के बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;

16. आंतरिक दहन इंजनों या टरबाइनों या दाबीकृत ईंधन बनेरों या जेट इंजनों के बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
17. कार बॉडी की मरम्मत करने वाली या हाथ से ठोककर धातु का सामान बनाने वाली जगह के बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
18. प्लास्टिक की सामग्रियों को निकालने का काम करने वाली मशीनों का इस्तेमाल करना या उनके बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
19. कागज़ को सिकोड़ने वाली मशीनों का इस्तेमाल करना या ऐसी मशीनों के इस्तेमाल के दौरान उनके बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
20. दाबीकृत भाप से चलने वाली मशीनों के इस्तेमाल से कपड़े की ब्लीचिंग और रंगाइ के काम के बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
21. ग्लास-बॉटलिंग लाइनों के बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
22. धातु के कैन की बॉटलिंग लाइनों के बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
23. कागज़ मोड़ने वाली मशीनों का इस्तेमाल करना या ऐसी मशीनों के इस्तेमाल के दौरान उनके बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
24. उच्च गति की वेब-फेड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनों का इस्तेमाल करना या ऐसी मशीनों के इस्तेमाल के दौरान उनके बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
25*. गन-फायरिंग संचालन के बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना;
26. किसी ऐसी जगह के बहुत पास रहते हुए सारा समय या मुख्य रूप से काम करना जहाँ सूअरों को काटने के लिए उन्हें बिजली से सुन्न करने का काम किया जाता है;
27. जुआ अध्यादेश (कैप. 148) के खंड 22(1)(बी) के तहत लाइसेंसशुदा महजोंग पार्लर के अंदर महजोंग खेलना (मुख्य ड्यूटी के तौर पर);
28. किसी डिस्कोथेक के नृत्य क्षेत्र के बहुत पास पेय-पदार्थ तैयार करना या सर्व करना (मुख्य ड्यूटी के तौर पर); या
29. किसी डिस्कोथेक में पहले से रिकॉर्ड किए गए संगीत के दोबारा चलाने और प्रसारण के लिए किसी प्रणाली को नियंत्रित या संचालित करना।

* इन चार शोरभरे व्यवसायों के लिए कम से कम 5 वर्ष से नौकरीशुदा होना आवश्यक है।

◎ निर्दिष्ट शोरभरे व्यवसायों के उदाहरण:

- निर्माण स्थलों या खदानों में न्यूमेटिक ड्रिल, पाइल ड्राइवरों या चट्टानों को कुचलने वाली मशीनों का इस्तेमाल करना;
- कपड़े के कारखानों में कातने या बुनने की मशीनों का इस्तेमाल करना;
- धातु-कार्य वाले कारखानों में पॉवर प्रेस या लेद का इस्तेमाल करना;
- कारपेंट्री में लेद, प्लेनिंग मशीनों, गोलाकार सॉइंग मशीनों या उच्च गति की रूटिंग मशीनों का इस्तेमाल करना;
- प्लास्टिक के कारखानों में प्लास्टिक को दानेदार बनाने वाली मशीनों का इस्तेमाल करना।

आवेदन हेतु प्रक्रियाएँ

◎ आवेदन कैसे करें?

दावेदार को एक आवेदन फॉर्म पूरा भरकर व्यावसायिक बधिरता मुआवज़ा बोर्ड (Occupational Deafness Compensation Board) के पास जमा कराना चाहिए।

◎ दावेदार को बोर्ड को कौन सी जानकारी प्रदान करनी चाहिए?

दावेदार को व्यक्तिगत विवरण के अतिरिक्त शोरभरे व्यवसायों में अपनी पिछली हर नौकरी के बारे में निम्नलिखित विवरण प्रदान करने चाहिए:

1. नियोक्ता का नाम, संपर्क पता और दूरभाष संख्या;
2. नौकरी की तारीखें, पद, आय और शोरभरे औज़ारों/मशीनों के इस्तेमाल से संबंधित विवरण; और
3. ऐसे दो सहकर्मियों के संपर्क पते और दूरभाष संख्याएँ जो प्रासंगिक नौकरियों में दावेदार की उपस्थिति के बारे में विवरणों की जानकारी रखते हैं।

◎ दावेदार को अपने सहकर्मियों के बारे में जानकारी क्यों प्रदान करनी चाहिए?

बोर्ड को दावेदार के नौकरी-संबंधी इतिहास के सत्यापन के लिए उसकी नौकरी के विवरण स्पष्ट करने हेतु उसके सहकर्मियों से संपर्क करना पड़ सकता है।

◎ क्या आवेदन जमा कराते समय दावेदार को दस्तावेज़ी प्रमाण प्रदान करने की ज़रूरत है?

दावेदार को ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जो शोरभरे व्यवसायों में उसकी पिछली नौकरियों को सत्य ठहरा सके। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

1. नियोक्ताओं द्वारा जारी किए गए पत्र जो दावेदार की नौकरी की अवधि, पद और आय को प्रमाणित करते हैं;
2. नौकरियों की संविदाएँ;
3. पृथक्करण भुगतान या समाप्ति भुगतानों की गणना पर अधिसूचना;
4. नियोक्ताओं द्वारा दर्ज की गई वेतन कर वापसियाँ;
5. अनिवार्य भविष्य निधि में योगदान संबंधी दस्तावेज़; या
6. मज़दूरी की रसीदें, आदि;

इसके अतिरिक्त दावेदार को अपने आवेदन की तारीख़ से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान शोरभरे व्यवसायों में की गई नौकरियों में प्राप्त अपनी आय पर दस्तावेज़ी प्रमाण भी प्रस्तुत करना चाहिए।

◎ बोर्ड मुआवज़े के लिए आवेदन को कैसे संसाधित करेगा?

बोर्ड आवेदन प्राप्त करने के बाद सबसे पहले कथित नौकरियों का सत्यापन करेगा। दावेदार के नियोक्ताओं और सहकर्मियों से संपर्क करके दावेदार की नौकरियों के विवरण सत्यापित किए जाएँगे।

बोर्ड सत्यापन के बाद व्यावसायिक आवश्यकताएँ पूरी करने वाले दावेदार को बहरेपन का मूल्यांकन करवाने के लिए कहेगा। दावेदार को बोर्ड द्वारा व्यवस्थित की गई बहरेपन की जाँचें और चिकित्सीय परीक्षण करवाने होंगे ताकि यह निर्धारित हो सके कि क्या वह बहरेपन की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

बोर्ड यह पुष्टि करने के बाद कि दावेदार ने मुआवज़े के लिए आवश्यकताएँ पूरी कर ली हैं दावेदार को एक मुआवज़े के निर्धारण का प्रमाण पत्र जारी करेगा। प्रमाण पत्र में व्यावसायिक बधिरता से होने वाली स्थायी अक्षमता का प्रतिशत और देय मुआवज़ा राशी स्पष्ट की जाएँगी। यदि दावेदार मुआवज़े की राशी को स्वीकार करता है, तो बोर्ड तदानुसार उसे भुगतान जारी करेगा। दावेदार एक बार भुगतान राशी प्राप्त कर लेने के बाद मुआवज़ा राशी पर आपत्ति जताने का अधिकार खो देगा।

यदि किसी भी चरण पर बोर्ड यह निर्धारित करता है कि दावेदार मुआवज़े का हकदार नहीं है, तो बोर्ड उसे एक अस्वीकरण सूचना जारी करेगा। सूचना में अस्वीकरण के कारण प्रदान किए जाएँगे।

◎ यदि दावेदार बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए?

दावेदार बोर्ड को उसके निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अस्वीकरण सूचना या मुआवज़ा निर्धारण प्रमाण पत्र की तारीख से शुरू करते हुए 14 दिनों के अंदर अपने कारण स्पष्ट करते हुए एक लिखित अनुरोध कर सकता है। उसका अनुरोध प्राप्त करने पर बोर्ड आवेदन पर पुनर्विचार करेगा और दावेदार को लिखित में इसके परिणाम के बारे में सूचित करेगा।

◎ यदि दावेदार पुनर्विचार के परिणाम से भी संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसे क्या करना चाहिए?

बोर्ड द्वारा पुनर्विचार के परिणाम से असंतुष्ट दावेदार ज़िला न्यायालय में अपील कर सकता है। यह अपील बोर्ड द्वारा पुनर्विचार के निर्धारण से 6 महीनों के अंदर दर्ज करानी चाहिए जब तक ज़िला न्यायालय समय सीमा को बढ़ाने की सहमति नहीं देता।

◎ **क्या दावेदार बोर्ड द्वारा आवेदन अस्वीकार किए जाने के बाद फिर से आवेदन कर सकता है?**

वह दावेदार जिसका आवेदन 6 मार्च 1998 को या उसके बाद ***बहरेपन हेतु आवश्यकताओं*** को पूरा न कर पाने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है, वह फिर से आवेदन कर सकता है यदि उसे उसके पिछले आवेदन की तारीख़ के बाद हांगकांग में किसी भी निर्दिष्ट शोरभरे व्यवसाय में कुल मिलाकर कम से कम 2 वर्षों के लिए नियोजित किया गया है।

यदि दावेदार को इसलिए अस्वीकार किया गया था क्योंकि वह नौकरी हेतु आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया था, तो वह ऐसे किसी भी समय फिर से आवेदन कर सकता है जब उसके विचार से वह नौकरी हेतु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य है, बशर्ते कि वह आवेदन ऐसे व्यवसायों में उसे अंतिम बार नियोजित किए जाने की तारीख़ से 12 महीनों के अंदर किया गया हो।

◎ **क्या दावेदार अपना आवेदन वापस ले सकता है?**

दावेदार बोर्ड द्वारा बहरेपन की जाँच की व्यवस्था किए जाने से पहले किसी भी समय आवेदन वापस ले सकता है। बोर्ड द्वारा व्यवस्था की गई बहरेपन की जाँच या चिकित्सीय परीक्षण करवाने के बाद बोर्ड के पास यह शक्ति है कि दावेदार द्वारा अपना आवेदन वापस लेने का अनुरोध करने पर भी बोर्ड उसके आवेदन पर अपना निर्णय ले सकता है।

मुआवज़े की गणना

◎ **मुआवज़े की राशी कैसे निर्धारित की जाती है?**

दावेदार के लिए देय मुआवज़ा राशी का निर्धारण आवेदन के समय उसकी आयु, मासिक आय और स्थायी अक्षमता के प्रतिशत/ स्थायी अक्षमता के अतिरिक्त प्रतिशत के अनुसार किया जाता है जो कि निम्नलिखित है:

आयु	***मुआवज़े की राशी***		
40 से नीचे	96 महीनों की आय	X	स्थायी अक्षमता का प्रतिशत (पहली बार के लिए मुआवज़ा) या स्थायी अक्षमता का अतिरिक्त प्रतिशत (अगला मुआवज़ा)
40 से 56 के बीच	72 महीनों की आय		
56 या ऊपर	48 महीनों की आय		

मासिक आय की राशी कैसे निर्धारित की जाती है?

व्यावसायिक बधिरता (मुआवज़ा) अध्यादेश के अनुसार मासिक आय का मतलब उस औसत मासिक आय से है जो दावेदार ने आवेदन की तारीख़ से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान हांगकांग में निर्दिष्ट शोरभरे व्यवसायों में की गई नौकरियों में प्राप्त की है। यदि दावेदार अपनी आय का दस्तावेज़ी प्रमाण प्रदान नहीं कर सकता या उसके द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, तो मुआवज़े की गणना जनगणना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित हांगकांग की कुल नियोजित जनसंख्या की माध्यिका रोज़गार आय के अनुसार की जाएगी। दोनों में से किसी भी मामले में मुआवज़े की राशी की गणना के लिए उच्चतम सीमा अधिकतम राशी $38,670 के अधीन है।

बोर्ड उपरोक्त के अनुसार मासिक आय निर्धारित करेगा और साथ ही, न्यूनतम मज़दूरी अध्यादेश के तहत प्रासंगिक प्रावधानों पर भी विचार करेगा।

किन दस्तावेज़ों को आय के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा?

नीचे आय के दस्तावेज़ी प्रमाण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

1. नियोक्ताओं द्वारा जारी किए गए पत्र जो दावेदार द्वारा पिछले 12 महीनों के दौरान निर्दिष्ट शोरभरे व्यवसायों में की गई नौकरियों में उसकी प्राप्त आय को प्रमाणित करते हैं;
2. नियोक्ताओं द्वारा दर्ज की गईं वेतन कर वापसियाँ;
3. मज़दूरी रिकॉर्ड खाते;

4. अनिवार्य भविष्य निधि में योगदान के दस्तावेज़; और
5. नौकरियों की संविदाएँ, आदि।

◎ स्थायी अक्षमता का प्रतिशत कैसे निर्धारित किया जाता है?

दावेदार को हुई स्थायी अक्षमता के प्रतिशत का निर्धारण निम्नलिखित तालिका के सन्दर्भ में किया जाता है:

स्थायी अक्षमता का प्रतिशत / बोर्ड द्वारा निर्धारित के अनुसार 1, 2, 3 kHz पर औसत बहरापन (db) (बेहतर श्रवण शक्ति के लिए) / बोर्ड द्वारा निर्धारित के अनुसार 1, 2, 3 kHz पर औसत बहरापन (db) (बदतर श्रवण शक्ति के लिए)	40dB से कम	40 से 45 dB से कम	45 से 50 dB से कम	50 से 55 dB से कम	55 से 60 dB से कम	60 से 65 dB से कम	65 से 70 dB से कम	70 से 75 dB से कम	75 से 80 dB से कम	80 से 85 dB से कम	85 से 90 dB से कम	90dB या ज़्यादा
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
40 से 45 dB से कम	0.5	1										
45 से 50 dB से कम	1	2	5									
50 से 55 dB से कम	1.5	3	6	10								
55 से 60 dB से कम	2	4	7	11	15							
60 से 65 dB से कम	2.5	5	8	12	16	20						
65 से 70 dB से कम	3	6	9	13	17	21	25					
70 से 75 dB से कम	3.5	7	10	14	18	22	26	30				
75 से 80 dB से कम	4	8	11	15	19	23	27	31	35			
80 से 85 dB से कम	4.5	9	13	17	21	25	29	33	37	43		
85 से 90 dB से कम	5.5	11	14	18	22	26	30	34	38	45	51	
90dB या ज़्यादा	6.5	13	16	20	24	28	32	36	40	46	53	60

पूछताछ

यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो कृपया व्यावसायिक बधिरता मुआवज़ा बोर्ड से संपर्क करें।

पता: **Office A-B, Billion Plaza II**
10 Cheung Yue Street
Cheung Sha Wan
Kowloon

दूरभाष : 2723 1288 / 2723 1928
फैक्स: 2581 4698
ईमेल: contact@odcb.org.hk
वेबसाइट: http://www.odcb.org.hk

(04/25)